

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
वल्लभ भवन मंत्रालय-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25/01/2022

क्रमांक 58/08/सी.सी./2022/अडतीस :: मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 893/सी.सी./2021/अडतीस, भोपाल, दिनांक 16.11.2021 के द्वारा सत्र 2021-22 में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसम्बर-जनवरी 2021-22 में परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ परीक्षा केन्द्रों के कक्षों में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ परीक्षा आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में संचालित परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी को परीक्षा दिवस के दिन ही आवेदन पत्र के साथ पॉजिटिव रिपोर्ट संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा अथवा दूरभाष पर सूचित करना होगा जिससे विद्यार्थी को प्रश्न पत्रों में बैठने की छूट मिल सकें। प्राचार्य परीक्षा समाप्ति के पांच दिवस में ऐसे विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक में भी इसका उल्लेख करेंगे।

सत्र 2021-22 में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित परीक्षाओं में जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से अपने शहर (निवास स्थान) से परीक्षा केन्द्र जाने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा, परीक्षा समाप्ति के 10 दिन में समय-सारणी जारी कर दो सप्ताह में परीक्षा आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पॉजिटिव पाये गये विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी एक साथ घोषित किया जाए, जिससे विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में कम से कम 06 फीट की शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) का पालन, फेस कवर/मास्क का उपयोग, श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन एवं खॉसते/छीकते समय टिश्यू/रूमाल/कोहनी से नाक और मुंह को कवर कराना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण (डिस्पोजल) तथा समय-समय पर कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(संघमित्रा गौतम)

उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 25/01/2022

पृ. क्रमांक: 59/08/सी.सी./2022/अडतीस  
प्रतिलिपि-

क्रमांक / परीक्षा / 2022 / 10007

दिनांक 25.1.2022

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्राचार्य समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय की ओर मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 58/08/सी.सी./2022 अडतीस भोपाल दिनांक 25.1.2022 के आदेशानुसार जारी निर्देशानुसार परीक्षा करना सुनिश्चित करें।

कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)